निर्णय ब इजलास कुन्तल विश्नोई आर.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय), जयपुर

प्रकरण संख्या 5/2025 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

भंवर सिंह पुत्र श्री गिरधारी सिंह, 338–ए, जगदम्बा नगर बी ब्लाक धावास, अजमेर रोड, जिला जयपुर, राजस्थान–302021

अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रनवाल, जिला जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय **दिनांक 15.09.2025**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी भंवर सिंह द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत को राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर के नाम आवेदन मय शुल्क प्रेषित कर निम्नलिखित सूचना चाही गयी–

(1) पुलिस थाना किशनगढ (रेनवाल) जयपुर ग्रामीण क्षेत्राधिकार मे भंवर सिंह पुत्र गिरधारी सिंह जी व पिंकू कंवर (महिला) के साथ दुर्व्यवहार हमला, शीलभंग करने की कोशिश और गंभीर चोट पहुंचाने के लिए व भंवरसिंह पर जानलेवा हमला किया। हमले में भंवर सिंह का हाथ टूट गया व हाथ की हड्डी टूट गई फ्रेकचर हो गया। अंग भंग की प्रासंगिक धाराओं व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में धारा 122, सीआरपीसी (CrPC) की धारा 122 के तहत किशनगढ (रेनवाल) से परिवाद दर्ज कर मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियमानुसार कारावास हो सकता है जो अधिकतम तीन–साल तक का कारावास CRPC व (BNSS) धारा 122 के तहत करवाने के आदेश करवाने की कृपा करावें व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में धारा 122, सीआरपीसी (CrPC) की धारा 122 के समान है, जो सुरक्षा (बांड) के उल्लंघन के मामले में कारावास से संबंधित है। अगर किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट द्वारा शांति बनाये रखने या निर्धारित अवधि के लिए कारादास हो सकता है जो अधिकतम तीन–साल तक हो सकती है। BNSS धारा 122 आदेशों की उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से पालना करावें संलग्न शिकायत दिनांक 16.07.2025 जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट पर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय किशनगढ (रनवाल) ने क्या कार्यवाही की, कार्यवाही की आज दिनांक तक की तथ्यात्मक रिपोर्ट आर0टी0आई0 के तहत आपके कार्यालय से प्रमाणित करके 5 सेट जरिये पोस्ट दिलावें।

(2) पूर्व घटना 30 अप्रेल, 2025 को अपराहन लगभग 3 बजे हुईएक पूर्व घटना का भी उल्लेख किया गया है, जहां आरोपियो ने, कथित तौर पर शिकायतकर्ता की संपति मे सेंध लगाई और अपनी ट्रैक्टर–ट्रॉली, कार और मोटरसाईकिल अंदर खडी कर दी जिसके लिए पहले ही एक एफ.आईआर(संख्या 0144/2025) दर्ज की जा चुकी है। आरोपी (1) गिरधारी सिंह के पुत्र (2) कमल सिंह और (3) राजवीर सिंह की सरकारी विभाग में जान पहचान होने के कारण एफ.आईआर. (संख्या 0144/2025) मे किसी की गिरफ्तारी नहीं हुईजिस कारण ही (1) गिरधारी सिंह के पुत्र (2) कमल सिंह और (3) राजवीर सिंह के होसले बुलन्द है व 1 मई 2025 को रात्रि लगभग 10–10:30 बजे आरोपी (1) गिरधारी सिंह के पुत्र (2) कमल सिंह और (3) राजबीर सिंह उनके द्वारा मेरे घर मे जबरन घुसकर बुजुर्ग महिला व लकवाग्रस्त सास के साथ मारपीट की गई व पिंकू कंवर को भी घसीटा गया, हम दोनों के साथ मारपीट की गई तथा पिंकू कंवर के कपडे फाड़ दिए हमारे साथ हुये दुर्व्यवहार व बार–बार हमला पिंकू कंवर की शीलभंग करने की कोशिश और मुझे अंग भंग व गंभीर चोट पहुंचाने के लिए व अंग भंग की प्रासंगिक धाराओं के तहत (1) गिरधारी किए के पुत्र (2) कमल सिंह और (3) राजवीर सिंह पर एफ.आईआर. दर्ज करने का अनुरोध किया था। 1 मई 2025 से लेकर आज तक पीडिता व मैंने पुलिस चौकी थाना किशनगढ (रनवाल) DSP पुलिस महानिरीक्षक व SP ग्रामीण व कलेक्टर जयपुर के पास उपस्थित

अति. कलक्टर एवं पदेन जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

होकर न्याय प्राप्ति की गुहार लगाई थी लेकिन आरोपियों की जानपहचान होने के कारण तत्काल औपचारिक रिपोर्ट FIR भी दर्ज नहीं की गई व न ही भंवर सिंह के फ्रैक्चर का मेडिकल तुरन्त नहीं करवाया। संलग्न शिकायत दिनांक 16.07.2025 जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट पर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय किशनगढ (रेनवाल) ने क्या कार्यवाही की, कार्यवाही की आज दिनांक तक की तथ्यात्मक रिपोर्ट आर0टी0आई0 के तहत आपके कार्यालय से प्रमाणित करके 5 सेट जरिये पोस्ट दिलावें।

(3) पुलिस थाना किशनगढ (रेनवाल) जयपुर ग्रामीण क्षेत्राधिकार में भंवर सिंह पुत्र गिधारी सिंह जी व पिंकू कंवर (महिला) के साथ दुर्व्यवहार हमला शीलभंग करने की कोशिश और गंभीर चोट पहुंचाने के लिए व भंवरसिह पर जान लेवा हमला किया हमले में भंवर सिंह का हाथ टूट गया व हाथ की हड्डी टूट गई और फ्रेक्चर हो गया। अंग भंग की प्रासगिक धाराओं व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में धारा 122, सीआरपीसी (CrPC) की धारा 122के तहत किशनगढ (रेनवाल) से परिवाद दर्ज कर मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियमानुसार कारावास हो सकता है जो अधिकतम तीन–साल तक कारावास CRPC व (BNSS) धारा 122 के तहत कार्यालय उपखण्ड दण्डनायक किशनगढ (रेनवाल) जयपुर ग्रामीण व थाना किशनगढ रेनवाल जयपुर ग्रामीण को आदेश करावें। संलग्न शिकायत दिनांक 16.07.2025 जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट पर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय किशनगढ (रेनवाल) ने क्या कार्यवाही की, कार्यवाही की आज दिनांक तक की तथ्यात्मक रिपोर्ट आर0टी0आई0 के तहत आपके कार्यालय से प्रमाणित करके 5 सेट जरिये पोस्ट दिलावें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी अनुपस्थित है।

3. हमने प्रार्थी के सूचना के अधिकार के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा जिसमें चाही गई बिन्दूवार सूचना दस्तावेजी सूचना चाहने हेतु अंकित किया गया है तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी संभरलेक से प्राप्त पत्रांक आर.टी.आई/अ.प्र./2025/2532 दिनांक 15.09.2025 के अनुसार वांछित सूचना कार्यालय के पत्रांक आर.टी.आई./सूचना/2025/2459 दिनांक 29.08.2025 द्वारा उपलब्ध करवा दी गयी।

4. उक्त सूचना से स्पष्ट है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने के बाद अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। अपील का निस्तारण उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि उक्त प्रकरण में यदि कोई सूचना दिये जाने से शेष है अथवा अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही हो तो तत्काल उपलब्ध करावें तथा भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम में निर्दिष्ट नियमों में निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध कराई जावे। निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो।

पत्रावली नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 15-9-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कुन्तल विश्नोई)
अपीलीय अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर (तृतीय),
जयपुर।

5